



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53288

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8723 वर्ष 2026

पप्पू

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : सुभाष चंद्र द्विवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. आज जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया, तो याची के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.सी. द्विवेदी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रताप सिंह द्वारा यह सूचित किया गया कि याची वर्तमान याचिका पर बल नहीं देना चाहता है।
2. इस प्रार्थना का विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को बल न दिए जाने के कारण खारिज किया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 16, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।